न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—175/2016/223 (2016/00175)

1. बैनाथ पुत्र सांवता, जाति जाट,
2. अमरचन्द पुत्र जगदीश, जाति जाट,
   निवासीगण ग्राम हिंगोनिया, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. देवीलाल पुत्र हजारी, जाति जाट, नि0 हिगोंनिया, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, दिनांक 6.9.2010 अंतर्गत वाद संख्या 52/2010 (358/2007).

उपस्थितः—

1. श्री जमील जई, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—4.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.9.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांटस एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हिगोंनिया, तह0 सरवाड़ में जमाबंदी संवत् 2006 के खाता संख्या 78 में खसरा नंबर 1437 रकबा 00—02—00 बीघा गैर मु0 चाह एवं खाता संख्या 82 में खसरा नंबर 1432 रकबा 6—10—0, खसरा नंबर 1530 रकबा 0—01—00, खसरा नंबर 1531 रकबा 0—02—0, खसरा नंबर 1532 रकबा 0—02—0 गैर0मु0चाह रामलाल, हजारी पि0 गंगाराम 1/2, श्री कल्याण पुत्र जगन्नाथ 1/2 हिस्सा एवं श्री हजारी पुत्र गंगाराम 1/2, कल्याण पुत्र जगन्नाथ 1/2 हिस्सा दर्ज था तथा इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 में खाता संख्या 145व 196 में दर्ज चली आ रही थी । जमाबंदी संवत् 2019 में विवादित आराजियात के नवीन नंबर 994, 1025, 1026 एवं 1027 बने थे जिसमें खातेदारों के पूर्व में दर्ज हिस्सों का गलत दर्ज कर दिया गया । इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है । अतः वाद में चाहे अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.9.2010 द्वारा डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में जो वाद प्रस्तुत किया उसमें उसका यह कथन था कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 27 के दादा एवं पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है यह भी आक्षेप लगाया कि वर्किंग जमाबंदी तथा जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 में वादपत्र के खण्ड 'अ' में वर्णित खाता नंबर 78–145 खसरा नंबर 1437 जिसके नये नंबर 994 बने, में मृतक रामलाल पुत्र गंगाराम के वारिसान सांवता व जगदीश का 1/4 हिस ही है परन्तु अनाधिकृत रूप से उनका 122 हिस्सा होना अंकित करवा लिया जबकि वास्तव में वादी का इस आराजी में 1/4 हिस्सा होते हुए भी वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत है । उक्त वाद को रेस्पो0 ने मिथ्या रूप से राजस्व अभिलखों को गलत सिद्ध करने का प्रयास अपने वाद के द्वारा किया । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलांटस की ओर से कोई अभिभाशक कभी भी अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही अपीलांटस/प्रतिवादी को कभी सम्मन या नोटिस ही तामील कराये गये थे । अधी0न्याया0 में अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई थी । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया था तथा अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई थी । अधी0न्याया0 ने दिनांक 17.12.2007 को जो आदेशिका लिखी है उसके अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 32 का उपस्थित होना तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की ओर से नन्दकिशोर वर्मा द्वारा अण्डरटेकिंग ली गई जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को कोई तामील ही प्राप्त नहीं हुई तथा प्रतिवादी संख्या 12, 13, 14, 22,23, 24 की ओर से रमेश मीणा ने पावर हेतु समय चाहा तथा दिनांक 17.12.2007 को प्रतिवादी संख्या 16 को बिना तामील कराये उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात अपीलांट एवं रेस्पो0 की सहखातदेारी की आराजियात है । राजस्व रिकार्ड में अपीलाधीन भूमि बाबत् अपीलांटस एवं रेस्पो0 का हिस्सा सही रूप से दर्ज है जिसे अधी0न्याया0 ने 1/4 करने में त्रुटि की है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 6.9.2010 की अपीलांट को कोई जानकारी थी क्योंकि अधी0न्याया0 में अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी । अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 5.5.2016 को तब हुई जब रेस्पो0 ने चाह में अपना ओसरा बढ़ाने के लिये विवाद किया जिस पर दिनांक 6.5.2016 को उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जाकर जानकारी ली एवं निर्णय की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस बावजूद सूचना के जानबूझकर अधी0न्याया0 में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही अपना जवाबदावा ही पेश किया । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध विधिसम्मत् रूप से एकतरफा कार्यवाही की गई है । बहस में आगे कथन किया कि संवत् 2019 की राजस्व जमाबंदी खाता नंबर 317 प्रदर्श पी–4, खाता संख्या 1161, 348 प्रदर्श–पी–5, खाता संख्या 356

प्रदर्श पी–6 में जो इंद्राज किये गये है वे जमाबंदी संवत् 2006 प्रदर्श पी–1 के अनुसार नहीं किये गये है । वादी/रेस्पो0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित किया है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलबध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निर्णित करनो उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने वाद के समर्थन में राजस्व जमाबंदी संवत् 2006 प्रदर्श पी–1, जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 प्रदर्श पी–2, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी–3 एवं जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 पेश किये । प्रदर्श पी–1 जमाबंदी संवत् 2006 में विवादित आराजियात मृतक रामलाल व हजारी का 1/2 हिस्सा तथा कल्याण का 1/2 हिस्सा दर्ज है ं इसके पश्चात् जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 के खाता संख्या 145 व 196 में भी उक्तानुसार अंकन है । प्रदर्श पी–3 जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 में प्रदर्श पी–1 जमाबंदी संवत् 2006 एवं प्रदर्श पी–2 जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 में दर्ज इंद्राज के अनुसार इंद्राज नहीं किये गये है । विद्वान अधी0न्याया0 ने उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों का भली–भांति अवलोकन उपरांत विवादित आराजियात खाता संख्या 589 के खसरा नंबर 1025, 1026, 1027 व 994 बाबत् वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री किया है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि चूंकि खसरा नंबर 1432 रकबा 6–10–00 बीघा भूमि के बाबत् पक्षकारान में आपसी सहमति से बंटवारा होकर उक्त बंटवारे के अनुसार जमाबंदी संवत् 2019 में अलग अलग खाते दर्ज किये जा चुके है इसलिये इस खसरा नंबर बाबत् वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद खारिज किया गया है जो उचित प्रतीत होता है । विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् होने से यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील के कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 का उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 6.9.2010 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 14.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर